



Neutral Citation No. - 2026:AHC:178039-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

शासकीय अपील संख्या - 142/2026

उ०प्र० राज्य

.....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

चन्द्रपाल एवं 10 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : पतंजलि मिश्रा

प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता : ब्रजेश कुमार सोलंकी, कुलदीप शंकर अमिस्ट, सम्पाट
विक्रम सिंह

न्यायालय संख्या- 46

माननीय न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा

माननीय न्यायमूर्ति अजय कुमार-द्वितीय

(माननीय न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा द्वारा उच्चारित)

1- अपीलकर्ता, उत्तर प्रदेश राज्य ने सत्र परीक्षण संख्या 337 सन् 2016 (राज्य बनाम चंद्रपाल एवं 10 अन्य) में अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 10, बदायूं द्वारा पारित दिनांक 11.12.2025 के निर्णय को चुनौती देते हुए वर्तमान अपील दाखिल की है, जो मुकदमा अपराध संख्या 664 सन् 2014, धारा 147, 148, 307/149, 333, 224, 225 भा.दं.सं. तथा धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, थाना-सहसवान, जनपद-बदायूं से उत्पन्न हुआ है, जिसके द्वारा अभियुक्त विपक्षीगण संख्या 1 से 11 को उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है।

2- अभिलेख का परिशीलन किया गया।



3- हमने अपीलकर्ता/राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री अरविंद कुमार के साथ श्री पंकज कुमार तथा अभियुक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सम्राट विक्रम सिंह को सुना।

4- अभिलेख से प्रदर्शित होता है कि पी.डब्ल्यू.-3, कांस्टेबल 587, चंदन सिंह ने दिनांक 21.07.2014 को 14.30 बजे थाना-सहसवान, जनपद-बदायूं में दिनांक 21.07.2014 को 12.30 बजे घटित होने की अभिकथित घटना के संबंध में एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत किया। चूंकि अभियोजन की कहानी स्वयं लिखित रिपोर्ट से ग्रहण की जा सकती है, अतः आक्षेपित निर्णय में जिस प्रकार उसे प्रतिलिखित किया गया है, उसी प्रकार उसे नीचे पुनरुत्पादित किया जा रहा है:

“आज मैं तथा कां० 533 हरेन्द्र सिंह थाने से वहवाले जी.डि. नं०-17 समय 10.20 बजे प्रातः मु० अ० सं०-602/2014 धारा-392, 411 भा० दं० सं० के माल मुल्जिमान की सुरागरसी व पतारसी में मामूर थे कि मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त के बांछित अभियुक्त पप्पू यादव पुत्र बृजपाल यादव निवासी रसूलपुर डांस थाना सहसवान बदायूं को गांव रसूलपुर डांस के पूरब-दक्षिण में यूकेलिपटिस के पेड़ों के पास से गिरफ्तार करके थाना सहसवान को आ रहे थे कि जब पक्की सड़क पर ग्राम जमालपुर पीयरी के खेतों के निकट आये तो पीछे से ग्राम रसूलपुर डांस के चन्द्रपाल, राजकुमार, जीतपाल, ओमवीर, नन्हें, वीरेन्द्र, राकेश पुत्र बन्ने, राकेश पुत्र किशन लाल, हरपाल, रवीन्द्र, काला, अखिलेश, शैतान होमगार्ड गेंदन लाल व जफर उर्फ जफरुद्दीन एवं 10-15 अज्ञात व्यक्ति समस्त निवासीगण रसूलपुर डांस थाना सहसवान अपने अपने हाथों में लाठी डण्डे व फरसे लेकर दौड़ते हुए आये और एक राय होकर हम पुलिस वालों को समय करीब 12.30 बजे दिन, घर कर मारपीट शुरू कर दी। राकेश पुत्र किशन लाल ने अपने हाथ में लिये फरसे से मुझे जान से मारने की नीयत से मेरे सिर पर वार किया, जिसे मैंने हाथ से रोका तो मेरे हाथ में लगा और मैं बाल-बाल बच गया। उसी समय मेरे साथी कां० 533 हरेन्द्र सिंह को भी लात घूसों से व लाठी डण्डों से मारपीट कर गिरफ्तार अभियुक्त पप्पू यादव को छुड़ा लिया। छूटते ही पप्पू यादव ने भी मुझे व कां० हरेन्द्र सिंह को अपने सहयोगियों के साथ लात घूसों से मारापीटा और पप्पू यादव के सहयोगी पप्पू यादव को छुड़ा ले गये। मारपीट के दौरान कां० हरेन्द्र सिंह का मौके पर मोबाइल फोन भी गिर गया। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाये।”

5- पी.डब्ल्यू.-1, कांस्टेबल 125, कुंवरपाल सिंह, जो थाना-सहसवान, जनपद-बदायूं में कांस्टेबल (लिपिक) के पद पर तैनात था, ने उपर्युक्त लिखित रिपोर्ट को दिनांक 21.07.2014 को 14.30



बजे थाना की सामान्य डायरी में जी.डी. प्रविष्टि संख्या 227 सन् 2014 के रूप में दर्ज किया (प्रदर्श क-1)। उपर्युक्त के आधार पर, पी.डब्ल्यू.-1 ने तत्पश्चात दिनांक 21.07.2014 की चेक एफ.आई.आर. तैयार की, जिसे मुकदमा अपराध संख्या 664 सन् 2014, धारा 147, 148, 307/149, 333, 224, 225 भा.दं.सं. तथा धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, थाना-सहसवान, जनपद-बदायूं के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। उक्त एफ.आई.आर. में 16 व्यक्तियों को अभियुक्त नामित किया गया, जबकि 10-15 अज्ञात व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में आरोपित किया गया।

6- उपर्युक्त एफ.आई.आर. दर्ज होने के पश्चात, पी.डब्ल्यू.-4, उपनिरीक्षक पुतन खान (सेवानिवृत्त) को विवेचनाधिकारी नियुक्त किया गया। उन्होंने सर्वप्रथम लिखित रिपोर्ट, एफ.आई.आर., प्रकरण में घायलों की चिकित्सीय रिपोर्टों को केस डायरी में नकल करने की औपचारिकता पूर्ण की और आगे एफ.आई.आर. के लेखक का बयान दर्ज किया। तत्पश्चात, वह घटनास्थल पर गए और प्रथम सूचनाकर्ता, पी.डब्ल्यू.-1 कांस्टेबल 125, कुंवरपाल सिंह के बताने पर नक्शा-नजरी तैयार की (प्रदर्श क-4)। तत्पश्चात उन्होंने प्रथम सूचनाकर्ता और अन्य साक्षियों का धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया और उनके बयान दर्ज किए। विवेचना पूर्ण होने पर, पी.डब्ल्यू.-4 विवेचनाधिकारी ने आरोप पत्र संख्या 212 सन् 2014 (प्रदर्श क-5) प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात अनुपूरक आरोप पत्र संख्या 212ए/2014 (प्रदर्श क-6) प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा 2 व्यक्तियों अर्थात् यहां सूचनाकर्ता और हरपाल को आरोपित किया गया।

7- उपर्युक्त आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात, अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट ने उस पर संज्ञान लिया। तथापि, चूंकि कथित अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, अतः अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट ने दिनांक 30.07.2026 के उपार्पण आदेश द्वारा प्रकरण को सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया।

8- परिणामतः, सत्र परीक्षण संख्या 337 सन् 2016 (राज्य बनाम चंद्रपाल एवं 10 अन्य) अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-10, बदायूं के न्यायालय में पंजीकृत हुआ। तदनुसार, संबंधित सत्र न्यायाधीश ने आरोप-पत्रित अभियुक्तों का विचारण प्रारंभ किया। दिनांक 29.03.2017 के आरोप विरचित किए जाने के आदेश द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147, 148, 307/149, 333, 224, 225 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए।



9- अभियुक्तों ने इस प्रकार विरचित आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग की। परिणामतः, विचारण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।

10- उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्तों के विरुद्ध विरचित आरोपों को सुसंगत एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके सिद्ध करने का भार अभियोजन पर आ गया।

11- उपर्युक्त भार अर्थात् अभियुक्तों के विरुद्ध विरचित आरोपों को सिद्ध करने के निर्वहन में, अभियोजन ने निम्नलिखित अभियोजन साक्षियों को प्रस्तुत किया:-

(i)- पी.डब्ल्यू.-1, कांस्टेबल कुंवरपाल सिंह (तथ्य का पुलिस साक्षी)

(ii)- पी.डब्ल्यू.-2, उपनिरीक्षक हरेंद्र सिंह (तथ्य का पुलिस साक्षी)

(iii)- पी.डब्ल्यू.-3, कांस्टेबल चंदन सिंह (तथ्य का पुलिस साक्षी)

(iv)- पी.डब्ल्यू.-4, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक पुतन खान (विवेचनाधिकारी)

(v)- पी.डब्ल्यू.-5, डॉ. जी.के. गुप्ता (चिकित्सक, जिन्होंने घायलों का परीक्षण किया था)

12- उपर्युक्त अभियोजन साक्षियों के बयानों पर भरोसा करने के अतिरिक्त, अभियोजन ने अपने प्रकरण के प्रमाण में दस्तावेजी साक्ष्य पर भी भरोसा किया। उसी को तदनुसार नीचे सारणीबद्ध किया गया है:-

क्रम सं.	प्रदर्श	दस्तावेजों का विवरण
1	प्रदर्श-क-1	दिनांक 21.07.2014 की चेक एफ.आई.आर., जो मुकदमा अपराध संख्या 664 सन् 2014, धारा 147, 148, 307/149, 333, 224, 225 भा.दं.सं. तथा धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, थाना-सहसवान, जनपद-बदायूं के अंतर्गत पंजीकृत हुई, जिसे पी.डब्ल्यू.-1 कांस्टेबल 125 कुंवरपाल सिंह द्वारा तैयार किया गया और पी.डब्ल्यू.-1 द्वारा सिद्ध किया गया।
3	प्रदर्श-क-2	जी.डी. प्रविष्टि संख्या 227 सन् 2014 की दिनांक 21.07.2014 को 14:30 बजे की कार्बन प्रति, जिसे पी.डब्ल्यू.-1 कांस्टेबल 125 कुंवरपाल सिंह द्वारा तैयार किया गया और पी.डब्ल्यू.-1 द्वारा सिद्ध किया गया।



क्रम सं.	प्रदर्श	दस्तावेजों का विवरण
4	प्रदर्श-क-3	दिनांक 21.07.2014 की लिखित रिपोर्ट, जो पी.डब्ल्यू.-1 कांस्टेबल 125 कुंवरपाल सिंह (प्रथम सूचनाकर्ता) द्वारा प्रस्तुत की गई और पी.डब्ल्यू.-1 द्वारा सिद्ध की गई।
5	प्रदर्श-क-4	घटनास्थल की नक्शा-नजरी, जिसे पी.डब्ल्यू.-4 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक पुतन खान, विवेचनाधिकारी द्वारा तैयार किया गया और पी.डब्ल्यू.-4 द्वारा सिद्ध किया गया।
6	प्रदर्श-क-5	आरोप पत्र संख्या 212 सन् 2014, जिसे पी.डब्ल्यू.-4 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक पुतन खान, विवेचनाधिकारी द्वारा तैयार किया गया और पी.डब्ल्यू.-4 द्वारा सिद्ध किया गया।
7	प्रदर्श-क-6	आरोप पत्र संख्या 212ए सन् 2014, जिसे पी.डब्ल्यू.-4 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक पुतन खान, विवेचनाधिकारी द्वारा तैयार किया गया और पी.डब्ल्यू.-4 द्वारा सिद्ध किया गया।
8	प्रदर्श-क-7	घायल चंदन सिंह की दिनांक 21.07.2014 की चिकित्सीय रिपोर्ट, जिसे डॉ. ए.के. वर्मा द्वारा तैयार किया गया और पी.डब्ल्यू.-5 डॉ. जी.के. गुप्ता द्वारा सिद्ध किया गया।
9	प्रदर्श-क-8	घायल हरेंद्र की दिनांक 21.07.2014 की चिकित्सीय रिपोर्ट, जिसे डॉ. ए.के. वर्मा द्वारा तैयार किया गया और पी.डब्ल्यू.-5 डॉ. जी.के. गुप्ता द्वारा सिद्ध किया गया।

13- अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात, धारा 313 दं.प्र.सं. के अधिदेश के अनुसार घटना के संबंध में उनके संस्करण के लिए सभी प्रतिकूल एवं अभियोगात्मक परिस्थितियां प्रश्नोत्तर के रूप में अभियुक्तों के समक्ष रखी गईं। अभियुक्तों ने उनसे किए गए सभी सुझावों से इनकार किया। इसके अतिरिक्त, अभियुक्तों द्वारा यह भी कहा गया कि अभियोजन का प्रकरण झूठा एवं गलत है। साक्षियों ने झूठा बयान दिया है। अभियुक्तों का आपराधिक अभियोजन शत्रुता एवं दलीय राजनीति के कारण प्रारंभ किया गया है। अभियुक्तों ने आगे कहा कि प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि, अभियुक्तों की ओर से कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। चूंकि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त घटना के संबंध में अपने संस्करण के साथ सामने नहीं आए, अतः घटना का एकमात्र संस्करण अभियोजन का संस्करण है।

14- पक्षकारों के साक्ष्य पूर्ण होने पर, संबंधित पक्षकारों की ओर से मौखिक तर्क प्रस्तुत किए गए। अभियोजन की ओर से यह तर्क दिया गया कि सभी अभियुक्तों ने एक सामान्य उद्देश्य के साथ प्रथम सूचनाकर्ता और उसके साथियों, कांस्टेबलों की हत्या का प्रयास करने के आशय से एक विधिविरुद्ध जमाव बनाया और उन पर हमला किया, ताकि गिरफ्तार अभियुक्त पप्पू यादव को अवैध रूप से पुलिस अभिरक्षा से मुक्त कराया जा सके। अभियुक्तों का कृत्य एक सरकारी सेवक द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करने के समान है। अभियुक्तों द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है। अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन के प्रकरण को सिद्ध कर दिया है। अतः अभियुक्त दोषसिद्ध किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

15- यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि अभियुक्तों में से एक, अर्थात् हरपाल की विचारण लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई। तदनुसार, अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 30.01.2025 के आदेश के माध्यम से उक्त अभियुक्त का विचारण उपशमित कर दिया गया।

16- दूसरी ओर, अभियुक्तों की ओर से यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तों ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उन्हें ग्राम की दलीय राजनीति के कारण झूठा फंसाया गया है। अभियोजन साक्षियों के बयानों में गंभीर विरोधाभास हैं। अभियोजन अभियुक्तों के अपराध को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

17- संबंधित पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों के दृष्टिगत, अवर न्यायालय ने विचारण में अंतर्निहित मुद्दे का पता लगाने के लिए संपूर्ण अभिलेख का परीक्षण किया। उपर्युक्त अभ्यास किए जाने पर, अवर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विचारण में विनिश्चय हेतु अंतर्निहित एकमात्र बिंदु यह है कि क्या अभियोजन ने अभियुक्तों के विरुद्ध विरचित आरोपों को संदेह से परे विशिष्ट रूप से सिद्ध किया है।

18- उपर्युक्त विनिश्चय के बिंदु का उत्तर देने के लिए, अवर न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य/सामग्री का परीक्षण एवं मूल्यांकन किया। उपर्युक्त के आधार पर, अवर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन अभियुक्तों के अपराध को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है। परिणामतः, अवर न्यायालय ने आक्षेपित दिनांक 11.12.2025 के निर्णय द्वारा अभियुक्तों को उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19- इस प्रकार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-10, बदायूं द्वारा पारित दिनांक 11.12.2025 के निर्णय से क्षुब्ध होकर, राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान शासकीय अपील दाखिल की है।

20- अपीलकर्ता/राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री अरविंद कुमार ने श्री पंकज कुमार के साथ, आक्षेपित निर्णय को चुनौती देते हुए हमारे समक्ष तर्क दिया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से अवैध और विकृत है। अतः यह न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने योग्य है। उन्होंने उपर्युक्त के समर्थन में लिखित प्रस्तुतियां दी हैं। वे निम्नलिखित हैं:-

i. घायल प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के विश्वसनीय साक्ष्य को केवल इस कारण से खारिज नहीं किया जा सकता कि किसी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण नहीं किया गया।

ii. अभियोजन ने विशेष रूप से दावा किया कि अभियुक्तों ने एक निरुद्ध व्यक्ति को छुड़ाया। तत्पश्चात, विचारण न्यायालय को उस विशिष्ट व्यक्ति की भौतिक मुक्ति के संबंध में घटनाक्रम, साक्षी के बयान और साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहिए था। छुड़ाने के पहलू की अनदेखी करने का अर्थ है कि न्यायालय आरोप पत्र के एक प्राथमिक घटक का विनिश्चय करने में विफल रहा।

iii. अवर न्यायालय ने केवल पुलिस पर कथित भौतिक हमले पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को विधिपूर्ण अभिरक्षा से छुड़ाने की विशिष्ट घटना की अनदेखी की है। निर्णय एक मूल आरोप की गंभीर चूक से ग्रस्त है। आपराधिक विधि के अंतर्गत, छुड़ाने/भागने का कृत्य और हमला करने का कृत्य पृथक घटक हैं, जिनके लिए पृथक तथ्यात्मक निष्कर्ष अपेक्षित हैं, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **पृथ्वी नाथ पाण्डेय एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1994 सी.आर.आई.एल.जे. 3623 इलाहाबाद** में स्पष्ट किया गया है।

iv. अवर न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों का औपचारिक तरीके से परीक्षण किया है।

रतन सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 768.

धरनीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2010 (6) एस.सी.जे. 662.

21- इसके विपरीत, अभियुक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सम्राट विक्रम सिंह ने वर्तमान अपील का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय पूर्णतः न्यायोचित एवं विधिसम्मत है और इसलिए उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



22- अभियुक्त/प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि अवर न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य पर विचार किया है। अवर न्यायालय ने न तो किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने में चूक की है और न ही किसी साक्ष्य का इस प्रकार गलत अर्थ लगाया है जिससे आक्षेपित निर्णय दूषित हो। अतः आक्षेपित निर्णय में कोई विकृति नहीं मानी जा सकती।

23- अभियुक्त-प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अवर न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य के मूल्यांकन के पश्चात सही रूप से निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन की कहानी विश्वास एवं भरोसे के योग्य नहीं है। घायल प्रत्यक्षदर्शी अर्थात् पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 विश्वसनीयता एवं भरोसे के योग्य नहीं हैं। यहां तक कि अभियुक्तों की पहचान और प्रश्नगत अपराध में उनकी संलिप्तता भी अभियोजन द्वारा संदेह से परे स्थापित नहीं की जा सकी।

24- गिरफ्तार अभियुक्त पप्पू यादव से संबंधित कोई तथ्य तथ्य के अभियोजन साक्षियों अर्थात् पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 के बयानों में सामने नहीं आया है।

25- उपर्युक्त समग्रता के आधार पर, अभियुक्त/प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सम्राट विक्रम सिंह ने तर्क दिया कि अवर न्यायालय ने अभियोजन के प्रकरण पर सही रूप से अविश्वास किया और अभियुक्तों को उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। उन्होंने इस प्रकार तर्क दिया कि चूंकि आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है, अतः वर्तमान अपील खारिज की जाए।

26- पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख के परिशीलन के पश्चात, हम पाते हैं कि इस अपील में अंतर्निहित एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या अभियोजन का प्रकरण विश्वास के योग्य है।

27- उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए आगे बढ़ने से पूर्व, अभियोजन के प्रकरण पर अविश्वास करने और अभियुक्तों को दोषमुक्त करने के लिए अवर न्यायालय द्वारा अभिलिखित कारणों का उल्लेख करना उपयोगी होगा।

अवर न्यायालय द्वारा अभिलिखित कारण:-



(i)- लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श-क-3) के अनुसार, घटना दिनांक 21.07.2024 को 12:30 बजे घटित होना अभिकथित है, जबकि एफ.आई.आर. दिनांक 21.07.2014 को अपराहन 02:30 बजे दर्ज की गई थी। अतः एफ.आई.आर. तत्काल दर्ज की गई है।

(ii)- वर्तमान कार्यवाही को जन्म देने वाली एफ.आई.आर. में 15 व्यक्तियों को नामित अभियुक्त बनाया गया था, जबकि 10-15 अज्ञात व्यक्तियों को भी अभियुक्त के रूप में आरोपित किया गया था। तथापि, आरोप पत्रों (प्रदर्श-क-5 और प्रदर्श-क-6) में केवल 12 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। एफ.आई.आर. के अनुसार, 15 व्यक्तियों को नामित अभियुक्त बनाया गया है, जबकि 10-15 अज्ञात व्यक्तियों के भी अपराध में सम्मिलित होने का आरोप है। इस प्रकार, 25 से 30 व्यक्तियों द्वारा पुलिस कांस्टेबलों पर लाठी, डंडा और फरसा से हमला किया जाना अभिकथित है। तथापि, विवेचना पूर्ण होने पर केवल 12 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि विवेचना के दौरान यह स्थापित नहीं हुआ कि प्रश्नगत अपराध के कारित किए जाने में 25-30 व्यक्ति सम्मिलित थे।

(iii)- यह समझ से परे है कि जब 25-30 व्यक्तियों द्वारा, जो घातक हथियारों से लैस थे, उन पर हमला किया जाना अभिकथित है, तो दोनों पुलिसकर्मियों को अपने शरीर पर केवल दो-दो चोटें कैसे आई।

(iv)- उपर्युक्त के अतिरिक्त, साक्ष्य में यह आया है कि दोनों पुलिस कांस्टेबल राइफलों से लैस थे। अभियोजन यह स्पष्ट करने में विफल रहा है कि दोनों पुलिस कांस्टेबलों ने आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं किया। दी गई परिस्थिति में, यह निश्चित है कि एक पुलिसकर्मी आत्मरक्षा में गोली चलाएगा, जबकि ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया। अतः अभियोजन द्वारा अभिकथित घटना का तरीका पूर्णतः संदिग्ध है।

(v)- पी.डब्ल्यू.-3 कांस्टेबल चंदन सिंह एक घायल प्रत्यक्षदर्शी है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन की कहानी का समर्थन किया है। तथापि, अपने मुख्य परीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि सामूहिक रूप से पथराव किया गया था। उसे यह ज्ञात नहीं है कि किसने कितने पत्थर फेंके। उसने आगे बयान दिया है कि उसे 8-10 चोटें आईं। यह तथ्यात्मक कथन पी.डब्ल्यू.-3 के मुख्य परीक्षण में पहली बार सामने आया, जबकि पी.डब्ल्यू.-3 ने लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पी.डब्ल्यू.-3 द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं है और इस साक्षी ने अपने मुख्य



परीक्षण में यह भी नहीं कहा है कि अभियुक्तों ने पुलिस के साथ उपद्रव किया और लाठी, डंडा, फरसा, लात एवं मुक्कों से हमला किया गया।

(vi)- चूंकि पी.डब्ल्यू.-3 ने लिखित रिपोर्ट में पथराव के संबंध में कुछ नहीं कहा है, बल्कि केवल हथियारों आदि के प्रयोग से हमला किए जाने का उल्लेख किया है, अतः यह साक्षी घटना के समय और स्थान पर उपस्थित नहीं था, क्योंकि उसे स्वयं यह ज्ञात नहीं है कि यह हथियार से किया गया हमला था, जिसका खुलासा किया जाना है, अथवा पथराव किए जाने का तथ्य बताया जाना है।

(vii)- घटना के तरीके के संबंध में, पी.डब्ल्यू.-3 ने अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया कि घायलों पर अभियुक्तों द्वारा लाठी, डंडा और फरसा से हमला किया गया। यह भी विशेष रूप से कहा गया कि राकेश ने चंदन सिंह पर फरसा से हमला किया। तथापि, अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि उसे घायलों को आई चोटों की ठीक संख्या याद नहीं है। इसे चंदन सिंह द्वारा बताया जा सकता है। तथापि, उसने बयान दिया कि चंदन सिंह के हाथ पर एक चोट लगी थी, जो फावड़े द्वारा कारित की गई थी। जब पी.डब्ल्यू.-3 स्वयं को उपर्युक्त घायल प्रत्यक्षदर्शी होने का अभिकथन करता है, तब उसके मुख्य परीक्षण में दिया गया बयान स्पष्ट रूप से यह प्रकट करता है कि इस साक्षी का बयान अभियोजन के प्रकरण के अनुरूप नहीं है, जिससे घटना के समय और स्थान पर उसकी उपस्थिति अत्यंत संदिग्ध हो जाती है।

(viii)- अभियोजन की कहानी संदिग्ध है और इसलिए विश्वास के योग्य नहीं है। पी.डब्ल्यू.-3 कांस्टेबल चंदन सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वह कभी उस हलके में तैनात नहीं रहा, जहां घटना घटित हुई। वह गांव में कभी आवागमन नहीं करता था। उसके द्वारा लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसी प्रकार, पी.डब्ल्यू.-2 कांस्टेबल हरेंद्र सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा कि घटना से पूर्व वह कभी उस हलके में नहीं गया था, जहां घटना घटित हुई। वह पहली बार कांस्टेबल चंदन सिंह के साथ गांव गया था। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि एफ.आई.आर. दर्ज किए जाने से पूर्व अभियुक्तों की पहचान स्थापित कराई गई थी। यह एक रहस्य है कि अभियुक्तों और उनके वंश-परिचय के संबंध में जानकारी के अभाव के बावजूद उन्हें अभियुक्त के रूप में नामित किया गया।

(ix)- घायल कांस्टेबल हरेंद्र सिंह के मुख्य परीक्षण में यह बात सामने आई है कि घटनास्थल के निकट कृषि क्षेत्र थे और खेत में लोग निराई का काम कर रहे थे। इसका अर्थ है कि घटना के



समय और स्थान के निकट अनेक लोग काम कर रहे थे। तथापि, अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया।

28- तथ्य के अंतिम न्यायालय के रूप में, इस न्यायालय को आक्षेपित निर्णय में विकृति का पता नहीं लगाना है, बल्कि यह देखना है कि क्या आक्षेपित निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के सम्यक् मूल्यांकन और परिशीलन का परिणाम है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता इस बात पर सहमत थे कि अवर न्यायालय द्वारा न तो किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य या सामग्री की अनदेखी की गई है और न ही अवर न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध किसी साक्ष्य का गलत अर्थ निकाला है। अतः हमें इस प्रश्न पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

29- वर्तमान प्रकरण प्रत्यक्ष साक्ष्य का प्रकरण है। अभियोजन ने अपने प्रकरण के समर्थन में दो घायल प्रत्यक्षदर्शियों अर्थात् पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 पर भरोसा किया है। प्रत्यक्ष साक्ष्य के प्रकरण में, अभियोजन तभी सफल हो सकता है जब तथ्य के अभियोजन साक्षी विश्वसनीय एवं भरोसेमंद पाए जाएं। तथापि, इस नियम का एक परिणाम भी है। घायल प्रत्यक्षदर्शी के बयान का साक्ष्यात्मक मूल्य सामान्य साक्षी की अपेक्षा अधिक होता है और उसे केवल बाध्यकारी कारण से ही खारिज किया जा सकता है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मंजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, 2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 632** के प्रकरण में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है।

30- वर्तमान प्रकरण में, प्रथम सूचनाकर्ता और दोनों घायल अर्थात् पी.डब्ल्यू.-2 एवं पी.डब्ल्यू.-3 पुलिसकर्मी हैं। प्रथम सूचनाकर्ता पी.डब्ल्यू.-1 घटना का प्रत्यक्षदर्शी है, जबकि पी.डब्ल्यू.-2 एवं पी.डब्ल्यू.-3 घायल प्रत्यक्षदर्शी हैं। आक्षेपित निर्णय में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि पी.डब्ल्यू.-3, प्रथम सूचनाकर्ता, नामित अभियुक्तों से परिचित था या उस हलके में, जहां घटना घटित हुई, उसकी दीर्घकालिक तैनाती के कारण वह उन्हें पहचानता था। तब एफ.आई.आर. में अभियुक्तों के नाम कैसे उल्लिखित किए गए, यह आक्षेपित निर्णय में प्रतिलिखित पी.डब्ल्यू.-3 के बयान से स्पष्ट नहीं होता। विद्वान ए.जी.ए. द्वारा आक्षेपित निर्णय को इस आधार पर चुनौती नहीं दी गई कि पी.डब्ल्यू.-1 ने अभियुक्तों को पहचान लिया था और इसलिए वह न्यायालय में उन्हें आसानी से पहचान सकता था। अपील के ज्ञापन में भी इस आशय का कोई आधार नहीं उठाया गया है।



31- उपर्युक्त के अतिरिक्त, पी.डब्ल्यू.-3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह उस हलके में तैनात नहीं था, जिसमें घटना घटित हुई थी और न ही वह उक्त गांव में आवागमन करता था। इसी प्रकार, पी.डब्ल्यू.-2 ने अपने प्रतिपरीक्षण में विशेष रूप से कहा है कि घटना से पूर्व वह उस गांव में कभी नहीं गया था, जहां घटना घटित हुई। वह पहली बार कांस्टेबल चंदन सिंह (पी.डब्ल्यू.-3) के साथ उस गांव अर्थात् घटनास्थल पर गया था।

32- पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3 के बयानों में आए उपर्युक्त कथनों के दृष्टिगत, अभियुक्तों की पहचान किस प्रकार प्रकट की गई, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अभियोजन द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि एफ.आई.आर. दर्ज किए जाने से पूर्व अभियुक्तों की पहचान स्थापित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई थी। अतः अभियोजन के प्रकरण का आधार स्थापित नहीं होता है। वास्तव में, यह अपने अभाव से स्पष्ट है। अभियोजन के प्रकरण में इस कमी के साथ, अभियोजन का प्रकरण ताश के पत्तों के घर की तरह ढह जाएगा।

33- वर्तमान अपील की सुनवाई के समय, हमने विशेष रूप से अपीलकर्ता/राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. का अभियोजन के प्रकरण में उत्पन्न उपर्युक्त विसंगति की ओर ध्यान आकर्षित किया। तथापि, विद्वान ए.जी.ए. न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर सके। एक बार जब अभियोजन स्वयं अभियुक्तों की पहचान स्थापित करने में विफल हो गया, तो अभियोजन के प्रकरण की संपूर्ण आधार-रचना ढह जाएगी। अभियुक्तों के अपराध का विनिश्चय करने के लिए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य पूर्णतः अप्रासंगिक हो जाएंगे। उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति के कारण, जो अभियोजन के प्रकरण के सम्यक् मूल्यांकन पर स्पष्ट रूप से स्थापित होती है, वर्तमान अपील के समर्थन में विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत विभिन्न तर्क निरर्थक हो जाते हैं।

34- उपर्युक्त की गई चर्चा के दृष्टिगत, अवर न्यायालय द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि अभियोजन अभियुक्तों के अपराध को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है, एक तार्किक और उचित निष्कर्ष है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

35- परिणामस्वरूप, वर्तमान शासकीय अपील विफल होती है और खारिज किए जाने योग्य है।

36- तदनुसार, इसे निरस्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II) (न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा)

21 अगस्त, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वाई.के.

Translated Version. Not for Legal Use.